बातचीत के बिंदु-13

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

<u>सस्ती बिजली- हमारा अधिकार</u>

आधुनिक समाजों में, बिजली के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यह हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे सुविधाजनक रूप है। आज, बिजली हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जैसे हवा और पानी। इसलिए, बिजली तक पहुंच जनता का हक बन गया है। अपने सभी नागरिकों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी देशों की सरकारों की ज़िम्मेदारी है।

हमारे जैसे विकासशील देशों में, सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीबों सहित सभी के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध हो। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लाखों आम लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में हमारे देश में बिजली नीति को इसी दृष्टिकोण के साथ अपनाया गया था। बिजली का पूरा कारोबार सरकारी नियंत्रण में रखा गया था।

लेकिन यह नवउदारवादीनिजाम के आगमन के साथ बदल गया। 'सुधार' के नाम पर बिजली का व्यावसायीकरण शुरू हुआ। इस या उस बहाने,लोगों के बिजली पर अधिकार को नकाराजा रहा है।

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की ऊर्जा नीति क्या थी?

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत देश के त्वरित विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत मण्डल (एसईबी) गठित किए गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक सेवा के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण समेत पूरे देश में बिजली का विस्तार करनाथा। उन्हें खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए -गांवों में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पंप सेट विद्युतीकरण का कार्य दिया गया था। राज्य विद्युत मण्डलोद्वारा लगभग 2 करोड़ पंप सेट विद्युतीकरण किए गए थे। समय के साथ भारत एक खाद्य सम्पन्न देश बन गया। देश में उनकी सेवा के चार दशकों के माध्यम से, राज्य विद्युत मण्डल5 लाख गांवों को विद्युतीकरण करने में कामयाब रहे।

नवउदारवादीनिजाम की शुरुआत के साथ, राज्य विद्युत मण्डलोको अक्षम होने का दोष देना शुरू कर दिया गया था। उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को बिजली प्रदान करने में तथा देश के सामाजिक आर्थिक प्रगति में उनके योगदान को नकारने की शुरुआत हो गई।

नीति मे परिवर्तन

नवउदारवादीनिजामघरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के कॉर्पोरेट और व्यापार समुदाय के मुनाफाखोरी के पक्ष में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। 1991 में हमारे देश में नवउदारवाद की शुरूआत के साथ, कांग्रेस सरकार के तहत, संसाधन की कमी के बहाने पर निजी खिलाड़ियों को विद्युत व्यवसाय में आमंत्रित किया गया। एनरॉन, एईएस और ऑगडेन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ अर्जित करने के लिए हमारे देश के बिजली क्षेत्र में घुस गई। उनमें से कोई भीवित्तीय संसाधनों के साथ नही आया था। सरकार ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उन्हे ऋण देने के लिए मजबूर किया। अर्थात, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक निवेश प्रदान किया गया। इसके अलावा, सरकार ने इन निजी कंपनियों द्वारा उत्पन्न बिजली के लिए खरीदार भी सुनिश्चित किए। सस्ती दरों पर बिजली पैदा करने वाले राज्य विद्युत मण्डलो को अपने संयंत्रों को बंद करने और इन निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया गया! उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड(महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल), जो कि सबसे अच्छा राज्य विद्युत मण्डलथा, को एनरॉन से एनरॉन के द्वारा निर्धारित कीमत पर बिजली खरीदनीपड़ी। इस प्रकार महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डलआर्थिक रूप से कमजोर हो गया, जिससे एनरॉन

भारत में प्रवेश कर सका। ऐसी ही सभी फास्ट ट्रैक परियोजनाओं में विभिन्न राज्य विद्युत मण्डलो के साथ अनुबंध किए गए। भारत सरकार ने हमारे देश में बिजली क्षेत्र में प्रवेश कर चुकीइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सार्वभौमिक गारंटी दी।

'सुधार' के नाम पर, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राज्य सरकारों ने बिजली अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले ही राज्य विद्युत सुधार अधिनियम के माध्यम से अपने राज्य विद्युत मण्डलो को विभाजित कर दिया।

विद्युत अधिनियम 2003

विद्युत अधिनियम 2000 के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार द्वारा इसी तरह के 'सुधार' की योजना बनाई गई थी। समाज के सभी वर्गों की गंभीर आलोचना के चलते सरकार ने संशोधनों की एक श्रृंखला बनाई जो बिजली उद्योग की प्रणालीके अनुसार थी। आखिरकार बिजली अधिनियम, 2003 को बीजेपी सरकार ने पारित किया था। इस अधिनियम के उद्देश्य विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के ठीक विपरीत हैं।

1948 के विद्युत अधिनियम के उद्देश्यों में तेजी से विद्युतीकरण शामिल था, जिसे देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता था। इसलिए, इसने विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए क्षमता वृद्धि के प्राथमिक कार्य के साथ-साथ देश के सूदूरतम इलाको में विद्युत वितरण नेटवर्क का विस्तार किया।

इसके विपरीत,नवउदारवादीनिजाम के तहत अधिनियमितविद्युत अधिनियम, 2003, निजीकरण के लक्ष्य के साथ विद्युत व्यवसाय के विनियमन के जरिये सरकार को इन सबसे अलग करने के लिए था। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक सेवा होने के बजाय, बिजली कॉर्पोरेट मुनाफ़ों के लिए मार्ग प्रशस्त करने की सेवा बन गई। बिजली क्षेत्र के सुधारों का घोषित इरादा जनता को 'गुणवत्तायुक्त और सस्ती बिजली' उपलब्ध कराना था। यह पूरी तरह से भ्रामक और झूठ साबित हुआ है।

पांच दशकों में 30000 करोड़ रुपये की हानि के लिए राज्य विद्युत मण्डलो को दोषी ठहराया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 मे राज्य विद्युत मण्डलो को विभाजित करने के लिए था। अब, बिजली कारोबार के कार्पोरेटीकरण के 15 वर्षों के भीतर, सभी वितरण कंपनियों का संचित घाटा 4.5 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा उनके ऊपर वित्तीय संस्थानों का5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज का बोझ है। दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 6से 8गुना दर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। विद्युत अधिनियम 2003 ने बिजली कारोबार में एक नया मोर्चा भी खोला है, जिसके लिए कोई निवेश की आवश्यकता नहीं है। इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसके लिए ना तो उत्पादन सयंत्रों की आवश्यकता है, ना ही संचालनऔर वितरण नेटवर्क की आवश्यकता है।

क्रॉस सब्सिडी

आजादीके बाद की विद्युत नीति ने गरीबों को बिजली सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस सब्सिडीकरण शुरू किया। जो लोग अधिक बिजली का उपभोग करते हैं उन्हें आपूर्ति की वास्तविक लागत पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि का इस्तेमाल गरीबों को सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि आपूर्ति की औसत लागत 1रू.प्रति यूनिट थी, तो सक्षमों से 1.40 रुपये प्रति यूनिट लिए जाते और इस 40पैसे का इस्तेमाल गरीबों को सब्सिडी देने के लिए किया गया था, जिन्हें प्रति यूनिट 60पैसे काही भुगतान करना होता था।

विद्युत अधिनियम 2003 का उद्देश्य अधिक से अधिक निजीकरण था। व्यापक पैमाने पर ठेकेदारी, फ्रैंचाइजींग और आउटसोर्सिंग के बावजूद वह आम जनता को सस्ती और वहनीय बिजली प्रदान करने में असफल रहा।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014

निजी निगमों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और लूटपाट की इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी की अगुआई वाली सरकार व्यवसायिक समुदाय के लिए अकूत मुनाफा कमाने के दायरे को आगे बढ़ाना चाहती है। इस उद्देश्य के साथ 2014 का विद्युत (संशोधन) विधेयक तैयार किया गया है। यह मसौदा बिजली के वितरण को दो घटकों, यानी परिवहन और सामग्री में विभाजित करता है। एक से अधिक कंपनी किसी विशिष्ट क्षेत्र के आपूर्ति व्यवसाय में प्रवेश कर सकती हैं। इन कंपनियों को इस नए व्यवसाय को खोलने के लिए एक भी पैसा निवेश करने की

आवश्यकता नहीं है। उन्हें विभिन्न उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, रेलवे इत्यादि के लिए बिजली की बिक्री जैसे अलग-अलग लाभदायक क्षेत्र दिए जाएंगे, जो ग्रामीण परिवारों और कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति जैसे हानिकारक और अलाभकारी क्षेत्रसे लाभकारी क्षेत्रो को विभाजित करते हैं। लाभप्रद क्षेत्र निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और अलाभकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के पास बने रहेंगे। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक निर्धारित करता है कि आपूर्ति लाइसेंसधारकों में से कम से कम एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होनी चाहिए। क्रॉस सब्सिडी के दायरे की अनुपस्थिति में, इन उपभोक्ताओं को कम उपभोक्ता घनत्व के कारण उच्च दरों का भुगतान करना होगा। इसके चलते केवल निचले तबके के उपभोक्ताओं की सेवा जारी रखना राज्य की स्वामित्व वाली इन कंपनीके लिए लगभग असंभव होगा।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 का प्रस्ताव है कि भले ही वितरण नेटवर्क वाले किसी क्षेत्रविशेष में वितरण एजेंसी कोई भी हो, अन्य कोई भी एजेंसियां उस नेटवर्क के माध्यम से बिजली की आपूर्ति कर सकती हैं। इसे 'ओपन एक्सेस-खुली पहुँच'कहा जाता है। सरकार इस अभियान के जरिये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि वे कई आपूर्तिकर्ताओं मे से चुनाव करसकते हैं। जो छिपाया जा रहा है,वह यह कि आपूर्ति की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, गरीब उपभोक्ताओं के पास सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा अत्यंत सीमित ही विकल्प होंगे। निजी आपूर्तिकर्ता, जिनका उद्देश्य भारी मुनाफा कमाना है, केवल शहरों और औद्योगिक केंद्रों जैसे उच्च राजस्व क्षमता वाले क्षेत्रों में रुचि दिखाएंगे। सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनी को केवल गरीब उपभोक्ताओं की सेवा करने के लिए नुकसान उठाना होगा; क्रॉस सब्सिडीकरण के लिए कोई अवसर नहीं होगा। दूसरी तरफ, बड़े उपभोक्ताओं को कम दरों के विकल्प चुनने और आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

साथ ही, किसी भी क्षेत्रविशेष में कई एजेंसियां मौजूद होने के चलते, उपभोक्ताओं के लिएबिजली की गड़बड़ी दुरुस्त करवाने या आपूर्ति की बहाली आदि जैसी समस्याओं को हल करवाने में कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना तय है। यह पता लगाने के लिए, कि कौन सी एजेंसी किस तरह की शिकायत का निवारण करेगी, उपभोक्ताओं की परेशानी का एक अतिरिक्त सरदर्द होगा।

दावा और मिथ्याचार

टैरिफ(दर)आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के माध्यम से विकसित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (भीमकाय ऊर्जा परियोजनाएं), एक धोखाधड़ी साबित हुई है। 16 परियोजनाओं में से लागू की गई 3परियोजनाएंअपने हर तरह के प्रभाव क्षमता का उपयोग करते हुए, पिछले दरवाजे से अपनी दरों में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं। सासन(मध्यप्रदेश)में अंबानी और मुंद्रा(गुजरात)में अडानी अपने गैरकानूनी व्यापार को वैध बनाने की कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में हार गए।

अपने कॉर्पोरेट दानदाताओं के लाभ के लिए नीतियां तैयार करते वक्तभाजपा नीत मोदी सरकार ने धुआंधार मीडिया आक्रमण के जरिए लोगों को बेवकूफबनाने का भी काम किया है। झूठे दावे करना और गलत जानकारी फैलाना वर्तमान भाजपासरकार का प्रतीक बन गया है।

लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के सरकार के दावे, देश में बिजली के उपयोग के आंकड़ों के आधार पर झूठे साबित हुए हैं। यह स्पष्ट है कि किसी भी विनिर्माण या सेवा प्रतिष्ठान को बिजली का उपयोग करना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मई 2018 तक हमारे देश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 343898 मेगावाट थी। लेकिन मई 2018 में सर्वोच्च मांग केवल 170765 थी। इसका मतलब है, किबिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग, सर्वोच्च मांग के दौरान भी50% से कहीं नीचे था। यह स्पष्ट है कि विकास का दावा बिजली की खपत के अनुरूप नहीं है।

इसी तरह, अप्रैल 2017 और मई 2018 के बीच नियोजित बिजली उत्पादन लक्ष्य 213583 मिलियन यूनिट का था। लेकिन उपलब्धि केवल 163795 मिलियन यूनिट थी। इसका मतलब है कि लक्षित उत्पादनका लगभग 76% ही हासिल किया जा सका हैं। यदि कोई मांग नहीं है तो बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। इसी मांग की कमी के चलते लक्ष्य हासिल करने में असफलता मिली है। फिर से,यह भाजपा की नेतृत्व वाली मोदी सरकार के आर्थिक विकास के झूठे दावों की पोल खोलता है।

यही स्थिति100%ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के दावे के मामले में भी है। तथ्य यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार 97% गांवों का विद्युतीकरण, वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले पूरा हो गया था। केवल 18000 गांव बचे थे। इसका एक और पहलू गांवों में उन परिवारों का प्रतिशत है जिन्हे विद्युतीकृत किया गया है। यह एक तथ्य है कि,उन गांवों में,जहां विद्युतीकरण किया गया है, परिवारों का बड़ा हिस्सा बिजली के बिना रहगया है। वर्तमान सरकार ने वास्तव में एकमात्र चीज जो इस योजना में पूरा किया है,वह है कि 'राजीव गांधी' के नाम को 'दीन दयाल उपाध्याय' के साथ बदला है।

दरअसल, बीजेपी के नेतृत्व वाली वाजपेयी सरकार ग्रामीणविद्युतीकरण में अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ खींचना चाहती थी। मूल रूप से,विद्युत अधिनियम2003में एक प्रावधान था जो ग्रामीण विद्युतीकरण समेत सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए केवल 'उचित सरकार' द्वारा'प्रयास' के बारे में बात करता है। यह केवल वामपंथी दलों,जिनकेसमर्थन पर यूपीए-1 सरकार अपने अस्तित्व के लिए निर्भरथी,के हस्तक्षेप के माध्यम से ही हुआ, कि इस प्रावधान में यूपीए-1 शासनकाल मेंऐसा विशिष्ट संशोधन दर्ज किया गया,कि ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है।

आज, आजादी के सत्तर साल से अधिकबीतने के बाद, हमारे देश में 22.24 करोड़ परिवारों में से 4.05 करोड़ परिवार विद्युतीकृत नहीं हैं। 30 करोड़ लोग, या हमारी 25%आबादी तक बिजलीकीपहुंचनहीं है; वे अभी भी अंधेरे के आदिम युग में रहते हैं! हालांकि सरकार ने घोषणा की है कि सभी परिवारों का विद्युतीकरण 31 मार्च 2019 से पहले पूरा हो जाएगा, अब उसने एक उपबंध डालदिया है कि केवल इच्छुक उपभोक्ताओं को ही घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। वे परिवार, जिन्हें औपचारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में गरीब हैं, उन्हें 'अनिच्छुक' माना जाएगा और कनेक्शन से इंकार कर दिया जाएगा।

बिजली श्रमिकों केहालात

जहाँ निजीकरण के चलते बिजली की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं बिजली श्रमिकबढ़ते शोषण की जद मे आ रहे है। स्थायी श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है। आकस्मिक, आउटसोर्स और ठेका श्रमिकों के साथ-साथ फ्रैंचाइजी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जबआवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, श्रमिकों की मजदूरी स्थिर बनी हुई है। कुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों के बराबर या उससे भी कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अकुशल श्रमिक सस्ती दरों पर नियोजित हैं। ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा उनकी सुरक्षा पूरी तरह से उपेक्षित है। भारतीय बिजली क्षेत्र में, ठेका और आकस्मिक श्रमिकों के साथ घातक दुर्घटनाएं रोज का मामला बन गया हैं, इनमे खासकर यही श्रमिक शिकार हो रहे हैं। ऊंचाहारमें दुर्घटना एक जीवंत उदाहरण है।

इंजीनियरों समेत विद्युत कर्मचारी सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति(एनसीसीओईईई), जो बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के सभी प्रमुख राष्ट्रीय संघों का व्यापक मंचहै, ने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और दिसंबर में देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला कियाहै। अगर सरकार ने संसद में बिजली बिल 2014 को पेश किया तो उसने तात्कालिक (फ्लैश) स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है।

लेकिन अकेले बिजली कर्मचारियों का संघर्ष इन नीतियों को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारियों और इंजीनियरों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के अन्य वर्गों के व्यापक एकजुट संघर्ष की भी आवश्यकता है।

5 सितंबर 2018की'मजदूर किसान संघर्ष रैली', श्रमिकों और उपभोक्ताओं,जिनका एक बड़ा हिस्सा किसान है, के इस तरह के व्यापक संघर्ष को तेज करने के लिए है। यह श्रमिकविरोधी, जन विरोधी और राष्ट्रविरोधी नवउदारवादी नीतियों को पलटने के लिए एकजुट संघर्ष को मजबूत करने के लिए है। आइए बड़ी संख्या में जनता को संगठित करें और अपनी आवाज़ उठाएं।

आईए, हम एकजुट हो! संघर्ष करें!

• वो सरकारें नहीं चलेगी जो 0.1% के लिए काम करती हैं

• वह नीतियाँ चाहिए जो 99.9% को लाभ पहुंचाए